

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी की अधिसूचना

**LGD Notification**  
**Creation of New Village**

**Published By**

Name Mohd.Salim Khan  
Designation Deputy Registrar Land Record  
Mobile no. 9461429781  
IP Address 164.100.145.30  
On date 27/05/2024

**Proposed By**

Name BORTDRLR  
Designation Tehsildar  
Mobile no. 9461429781  
IP Address 164.100.145.30  
On date 27/05/2024

District Name Ajmer  
Sub District Name Ajmer  
Village Name (In English) Majitiya  
Village Name (In Local language) मजीतीया  
Village Effective Date 21/03/2023  
Village Status Inhabitant  
How to Village is Formed? New Village Created by Existing Village.

**CONTRIBUTED VILLAGES LIST**

| Village Code | Village Name | Coverage Type |
|--------------|--------------|---------------|
| 91629        | Bhanwata     | PART          |





राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर (भू अभिलेख), अजमेर जिला-अजमेर (राजस्थान)

क्रमांक: कअ/भूअ/संस्था/नवीन ग्राम/2023/2754

दिनांक: 24/05/2023

निमित्त:


तहसीलदार,  
अजमेर

विषय:-नवसृजित राजस्व ग्राम मजीतीया एवं जोधा की ढाणी की अधिसूचना भिजवाने  
बाबत

प्रसंग:-विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.9 (13)  
राज-1/2023 जयपुर दिनांक 21.03.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अधिसूचना की प्रति प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के अनुसार मूल राजस्व ग्राम भांवता में से नवीन घोषित राजस्व ग्राम मजीतीया एवं जोधा की ढाणी का राजस्व अभिलेख एवं मानचित्र एक माह में पृथक से तैयार कर इस कार्यालय को अवगत करावे। साथ ही आप द्वारा मजीतीया एवं जोधा की ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने बाबत पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव की एक प्रति भू-प्रबन्ध अधिकारी अजमेर को उपलब्ध करावे।

सलंगन:-अधिसूचना की प्रति


  
कलक्टर (भू0अ0)  
अजमेर

क्रमांक: कअ/भूअ./संस्था./नवीन ग्राम/2023/2755-90

दिनांक 24/05/2023

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर।
2. भू-प्रबन्ध अधिकारी अजमेर
3. प्रभारी अधिकारी राजस्व/सामान्य अनुभाग कलक्टर अजमेर।
4. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला अजमेर
5. तहसीलदार समस्त जिला अजमेर।

  
कलक्टर (भू0अ0)  
अजमेर



राजस्थान-सरकार  
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9(13)राज--1/2023

जयपुर, दिनांक : 21/03/2023

--: अधिसूचना :--

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील अजमेर के मूल राजस्व ग्रामों से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या--7 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या--9 के अनुसार होगा :--

| क्र. सं. | जिला / तहसील  | ग्राम पंचायत / पंचायत समिति | मूल राजस्व ग्राम का विवरण |                         |                             | नवीन राजस्व ग्राम का विवरण |                         |                             | दूरी (KM में) | मूल ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (है. में) |
|----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|
|          |               |                             | ग्राम का नाम              | जन संख्या (2011 अनुसार) | भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में) | ग्राम का नाम               | जन संख्या (2011 अनुसार) | भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में) |               |                                          |
| 1        | 2             | 3                           | 4                         | 5                       | 6                           | 7                          | 8                       | 9                           | 10            | 11                                       |
| 1        | अजमेर / अजमेर | भांवता / अजमेर ग्रामीण      | भांवता                    | 8646                    | 2246.88                     | मजीतीया                    | 500                     | 184.27                      | 3             | 1646.47                                  |
| 2        |               |                             |                           |                         |                             | जोधा की ढाणी               | 1100                    | 416.14                      | 1.5           |                                          |

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,


*Atul Sharma*

(विश्व मोहन शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव




प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान
02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
03. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
05. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
06. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
07. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
08. संबंधित जिला कलक्टर जारी अधिसूचना की अनुपालना में उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें।
09. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर
10. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
11. निदेशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर
12. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर
13. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर
15. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर
16. महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर
17. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर
18. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली।

  
सहायक शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

01. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
02. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर
03. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
04. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
05. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

  
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

01. अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002
02. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016
03. सचिव, रक्षा/कृषि/ग्रामीण विकास/उद्योग/शिक्षा/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
04. सचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
05. निदेशक, राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन, सेक्टर-10, विद्याधरनगर, जयपुर-302039
06. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड
07. निदेशक, नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001
08. महानिदेशक, डाक विभाग, (प्लानिंग डिविजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

  
सहायक शासन सचिव